निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 365) पटना, बुधवार, 27 जुलाई 2011

सं0 1 / आ0प्र0यो0—13 / 2010—2419 / आ0प्र0
आपदा प्रबंधन विभाग

———

संकल्प

27 जुलाई 2011

विषय—राज्य में शताब्दी अन्न कलश योजना 2011 का कार्यान्वयन।

राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गो के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु शताब्दी अन्न कलश योजना के नाम से एक योजना स्वीकृत की गयी है। तत्संबंधी शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011 अधिसूचना संख्या 2388, दिनांक 25 जुलाई 2011 द्वारा निर्गत है। अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक 1 पर संलग्न है। तदनुसार शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

2. इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैः—

(i) इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि एवं सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नाम से कोष का गठन किया जायेगा, जिसमें से कमजोर / आघातयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधरण क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंध्ति जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इस निधि / कोष का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्राों में मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे निर्धन, बूढ़े, कमजोर, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों / परिवारों को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर नजर रखें। वे ऐसे परिवारों, जो संसाधन विहीन हो तथा जिनके पास आजीविका का कोई साधन न हो या जो, परिस्थितियों के दबाव से, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम हो गये हों, को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर विशेष चौकसी / सतर्कता रखेंगे। मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद को

यथा स्थिति में चौकसी बरतने में अपने क्षेत्र यथा ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरीय क्षेत्रा में कार्यरत सरकारी कर्मियों/ पदाधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। वे असैनिक सामाजिक संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति/परिवार के भूखमरी की स्थिति की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त सरकारी कर्मी/पदाधिकारी तत्परता से जॉच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद या प्रखण्ड विकास पदाध्किारी को प्रतिवेदन सौपेंगे।

(v) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग संबंध्ति जिला पदाधिकारी से परामर्श के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक निर्दिष्ट जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक क्वींटल खाद्यान्न का रिवाल्विंग स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्रा में जिला दण्डाधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहॉ खाद्यान्न के रिवाल्विंग स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(vi) भूखमरी की स्थिति का सामना कर रहे कमजोर, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/ परिवारों को इस नियमावली में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार तथा निर्दिष्ट मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न इस रिवाल्विंग स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उपरोक्तानुसार चिन्हित कमजोर वर्गों के किसी व्यक्ति अथवा परिवार के समक्ष भूखमरी का संकट उत्पन्न होने पर मुखिया, वार्ड पार्षद, यथास्थिति, तत्काल संबंधित जनवितरण प्रणाली बिक्रेता को संबंध्ति व्यक्ति को रिवाल्विंग स्टॉक से निम्न मात्राा में मुफ्त खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु निदेशित करेंगेः

(a) प्रति वयस्क 10 कि0ग्रा0 (दस किलोग्राम) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(b) प्रति अवयस्क 7 कि0ग्रा0 (सात किलोग्राम) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(viii) मुखिया या वार्ड पार्षद, यथास्थिति, के निर्देश पर संबंध्ति जनवितरण प्रणाली विक्रेता तत्परतापूर्वक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को करेगा। रिवाल्विंग स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किया जायेगा। उक्त विक्रेता को खाद्यान्न का भुगतान जिला निधि से किया जाएगा।

(ix) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्न की आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को देंगे।

(x) सूचना की प्राप्ति अथवा अपनी पहल पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, बिना किसी बिलंब के भूखमरी के कारणों के संबंध में जॉच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता एवं उसकी आजीविका के साधन का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह जांच तीन दिनों के भीतर कर ली जायेगी।

(xi) यदि जॉच के उपरांत, पदाधिकारी (गण) संतुष्ट हैं कि संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो वह शीघ्रताशीघ्र जनवितरण प्रणाली विक्रेता को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार अतिरिक्त तीन सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु निदेशित करेगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त प्रक्रियानुसार एवं मात्रा में, दो चरणों में चार सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्त्ति रिवाल्विंग स्टाक से की जायेगी।

(xii) संबंधित व्यक्ति को उपर्युक्त तरीके से खाद्यान्न आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को आजीविका उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का सुझाव देंगे। साथ ही उसे चार सप्ताह के लिए दिए गए मुफ्त खाद्यान्न के अतिरिक्त भी खाद्यान्न आपूर्त्ति करने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।

(xiii) पदाधिकारी (गण) से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की संबंधित व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हों, आच्छादित किया जाय। यदि संबंधित व्यक्ति पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित हों तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक बिलंब के संबंध्ति व्यक्ति को मिल जाय। वे इस विषय में अग्रेतर जांच के लिए अनुमंडल पदाध्किारी को निदेशित कर सकेगें। जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ससमय मिल रहा है।

(xiv) यदि जिला पदाधिकारी संतुष्ट हों कि संबंध्ति व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि उसे एक माह से अधिक के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंध्ति जनवितरण प्रणाली

बिक्रेता को खाद्यान्न आपूर्त्ति करने का निदेश निर्गत करेंगे। परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप–नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात खाद्यान्न की आपूर्त्ति बंद कर देंगे।

(xv) यदि रिवाल्विंग स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी बाजार से क्रय कर खाद्यान्न आपूर्त्ति करने का आदेश दे सकेंगे। इस प्रकार के सभी मामलों में खाद्यान्न के लिए भुगतान जिला निधि से किया जायेगा।

(xvi) सभी मुखियागण, वार्ड पार्षदगण, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यगण, तथा अन्य सरकारी कर्मी जिन्हें इस नियमावली के अन्तर्गत परिभाषित कर्त्तव्य सौपें गये हैं, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे तत्परता तथा बिना विलंब के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबुझ कर अपने नियत कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होतें हैं तो यह कदाचार के तुल्य माना जायेगा तथा सुसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमों के अन्तर्गत उनसे सख्ती से निपटा जायेगा।

(xvii) इस योजना के कियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, नगरीय क्षेत्रा में वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलापदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(xviii) राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंध्न विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(xix) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राध्किार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

(xx) इस योजना के कियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। इस नियामावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके बेवसाईट पर, पूर्ण ब्योरे (Web site) के साथ किया जायेगा।

3. राज्य में शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन तत्काल प्रभाव से किया जाएगा।

आदेश से,
व्यास जी,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 365-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in